

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या.1159

थाना कांड संख्या-62 वर्ष-2016 थाना- सिंहेश्वर जिला- मधेपुरा से उत्पन्न

=====

देव नारायण यादव पुत्र स्व. युगो यादव निवासी ग्राम- गौरीपुर, वार्ड नं.- 13, थाना- सिंहेश्वर,
जिला- मधेपुरा

..... अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता

उपस्थित:

=====

अपीलार्थी के लिए : श्री विजय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता : श्री दिलीप कुमार सिन्हा, अतिरिक्त निदेशक पी. पी

=====

अपील का विषय- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 374(2) के तहत दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील।
- मादक पदार्थ एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) - धारा 20, 22 एवं 24। -
NDPS अधिनियम की धारा 42 का पालन न करना - कोई भी सूचना जो मादक पदार्थों से संबंधित
हो, उसे छापेमारी से पहले लिखित रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। (संदर्भ: कर्णेल सिंह
बनाम हरियाणा राज्य, (2009) 8 SCC 539)

(पैरा 24-25)

गवाहों के बयान में गंभीर विरोधाभास - छापेमारी के समय और बरामदगी स्थल को लेकर
अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान विरोधाभासी पाए गए। - स्वतंत्र गवाहों ने अपने बयान से
मुकरने के कारण अभियोजन का मामला कमजोर हो गया।

- (पैरा 19, 20, 23)

वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन - धारा 52A (सूचीकरण और सीलिंग प्रक्रिया) का पालन नहीं
किया गया। - जब्त किए गए मादक पदार्थों को विधिवत सूचीबद्ध, सील और मजिस्ट्रेट द्वारा
प्रमाणित किया जाना चाहिए। - सैंपल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लेने चाहिए ताकि छेड़छाड़ से
बचा जा सके। - (संदर्भ: यूसुफ @ आसिफ बनाम राज्य, 2023 SC

(पैरा 33-34))

एफएसएल को सैंपल भेजने में देरी और साक्ष्य शृंखला में गड़बड़ी - वैधानिक आवश्यकता:सैंपल को
बिना अनावश्यक देरी के भेजा जाना चाहिए ताकि उसमें छेड़छाड़ की संभावना न रहे। - वास्तविक

स्थिति: सैंपल 2 महीने 20 दिन बाद भेजे गए। - अभियोजन पक्ष द्वारा इस देरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। - (संदर्भ: मोहनलाल बनाम भारत संघ, (2016) 3 SCC 379)

(पैरा 31-34)

सचेत कब्जे" (Conscious Possession) को साबित करने में असफलता - - अभियुक्त केवल घर के अंदर मौजूद था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था कि वह मादक पदार्थों का विशेष रूप से स्वामी था। - (संदर्भ: मो. समसुल बनाम भारत संघ (पटना उच्च न्यायालय, 2016, पैरा 35-36))

निष्कर्ष - दोषसिद्धि रद्द की गई। - प्रक्रियात्मक त्रुटियां, गवाहों के बयान में विरोधाभास, और NDPS अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं थी। - अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया और तत्काल रिहाई के आदेश दिए गए।

- (पैरा 38-39)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

कोरम: माननीय मुख्यमाननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

और

माननीय न्यायमूर्ति शैलेंद्र सिंह

ओरल जजमेंट

(प्रति:माननीय न्यायमूर्ति शैलेंद्र सिंह)

तारीख:11-07-2024

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विजय कुमार सिन्हा और राज्य के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार सिन्हा को सुना गया।

2. यह अपील मधेपुरा के विद्वान सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश द्वारा सिंहेश्वर पी.एस. कांड संख्या 62/2016 से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. विशेष मामला संख्या 02/2016 में पारित क्रमशः दिनांक 02.08.2017 और 08.08.2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (संक्षेप में 'एन.डी.पी.एस. अधिनियम') की धारा 20, 22 और 24 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी पाया गया और ठहराया गया। अपीलकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता को 20 वर्ष (बीस वर्ष) के कठोर कारावास और 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और जुर्माना न चुकाने पर उसे 4 वर्ष (चार वर्ष) के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अपीलकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत अपराध के लिए 20 वर्ष (बीस वर्ष) के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और उस पर 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना न चुकाने पर उसे 4 वर्ष (चार वर्ष) के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 24 के तहत अपराध के लिए उसे अन्य उपर्युक्त अपराधों के समान ही सजा दी गई है। सभी सजाएँ एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

अभियोजन की कहानी:-

3. अभियोजन पक्ष की कहानी का सार इस प्रकार है:-

दिनांक 20.03.2016 को गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना, अंचल, मधेपुरा में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक रमेश चंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में सात पुलिसकर्मियों की एक पुलिस टीम ने अपीलकर्ता के आवासीय घर पर छापा मारा और दो स्वतंत्र व्यक्तियों अजय कुमार और अनिल कुमार की उपस्थिति में अपीलकर्ता के घर की तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर 20 छोटे कागज के पैकेट (पूरिया/पाउच) और 12 प्लास्टिक सामग्री से बने छोटे पैकेट बरामद हुए और संदेह था कि इन पैकेटों में गांजा जैसी सामग्री है और मौके पर अपीलकर्ता और उसके बेटे अशोक यादव को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने पुलिस के समक्ष बताया कि जब्त मादक पदार्थ गांजा को वे बेचने के उद्देश्य से नेपाल देश से तस्करी कर लाए थे तथा छोटे-छोटे पैकेट में पैक करके बेचते थे। तत्पश्चात अजय कुमार एवं अनिल कुमार की उपस्थिति में अपीलकर्ता के घर के अंदर की तलाशी ली गई तथा उसके घर के एक कोने से दो प्लास्टिक की बोरियों में लगभग 22 किलोग्राम गांजा जैसा पदार्थ बरामद किया गया। दो बोरियों में बरामद गांजा जैसा पदार्थ के संबंध में अपीलकर्ता एवं उसके पुत्र द्वारा बताया गया कि उक्त मादक पदार्थ भी नेपाल देश से स्थानीय बाजार में बेचने के उद्देश्य से लाया गया था।

4. सूचक, सिंहेश्वर थाने के तत्कालीन एस.एच.ओ. एस.आई. राजेश चौधरी ने अपना आत्म कथन दर्ज किया (विवरण-4) जिसके आधार पर सिंहेश्वर थाने में कांड संख्या 62/2016 की औपचारिक प्राथमिकी एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20, 22 और 24 के तहत दर्ज की गई, जिससे आपराधिक कानून लागू हुआ।

5. जांच के बाद पुलिस ने अपीलकर्ता और उसके बेटे अशोक यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, उसके बाद विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा कथित अपराधों का संज्ञान लिया गया। अपीलकर्ता और सह-आरोपी अशोक यादव, अपीलकर्ता के बेटे पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20, 22 और 24 के तहत आरोप लगाए गए।

6. अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाहों से पूछताछ की जो इस प्रकार हैं:-

अ.सा.-1:- बिपिन कुमार

अ.सा.-2:- दबलू कुमार राम

अ.सा.-3:- मनोज कुमार यादव

अ.सा.-4:- अनिल कुमार यादव

अ.सा.-5:- अजय कुमार

अ.सा.-6:- राजेश चौधरी

अ.सा.-7:- शंभू कुमार

7. मौखिक साक्ष्य के अलावा अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेज साबित किए और उन्हें प्रदर्शित करवाया जो इस प्रकार हैं:

प्रदर्श-1:- जब्ती सूची पर अनिल कुमार के हस्ताक्षर,

प्रदर्श-1/1:- जब्ती सूची में गवाह अजय कुमार के हस्ताक्षर,

प्रदर्श.-2:- जब्त बैग पर ए. एस. आई. शंभू कुमार का लेखन और हस्ताक्षर,

प्रदर्श.-2/1:- एक अन्य जब्त बैग पर ए. एस. आई. शंभू कुमार के हस्ताक्षर,

प्रदर्श.-3:- बरामदगी सूची,

प्रदर्श-4:- स्व-लिखित कथन,

प्रदर्श.-4/1:- मामला दर्ज करने के लिए अनुमोदन

प्रदर्श.-4/1:- औपचारिक एफ.आई.आर.,

प्रदर्श-5:- आरोप पत्र,

प्रदर्श-6:- फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, पटना से प्राप्त रिपोर्ट।

प्रदर्श-6/1:- रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट, कस्टम हाउस, रासायनिक प्रयोगशाला, कोलकाता।

8. इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने भौतिक वस्तुओं को भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया और उन्हें भौतिक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करवाया जो इस प्रकार हैं:-

सामग्री विस्तार। I:- एक सीलबंद थैला

सामग्री विस्तार। II:- एक और सीलबंद बैग

सामग्री विस्तार। III:- लाल रंग का सीलबंद थैला

9. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूरे होने के बाद अपीलकर्ता का बयान दर्ज किया गया जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से अपने खिलाफ दिखने वाली मुख्य परिस्थितियों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया लेकिन कोई विशेष बचाव नहीं बताया।

बचाव साक्ष्य:-

10. अपीलकर्ता ने मौखिक बचाव साक्ष्य में तीन व्यक्तियों की जांच की और अपने तथा सह-आरोपी के बचाव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में दो मूल राशन कार्ड प्रस्तुत किए, जो इस प्रकार हैं:-

बचाव पक्ष-1:- गोपाल साह,

बचाव पक्ष-2:- गर्जेन्द्र यादव

बचाव पक्ष-3:- पप्पु कुमार यादव

प्रदर्श. ए:- अशोक यादव की पत्नी वीणा देवी के नाम से जारी एक मूल राशन कार्ड।

प्रदर्श. ए/1:- अशोक कुमार यादव, पुत्र देव नारायण यादव के नाम से जारी एक मूल लाल राशन कार्ड।

निचली अदालत के नतीजे:-

11. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पी.डब्लू.-1, पी.डब्लू.-2, पी.डब्लू.-3 और पी.डब्लू.-6 के साक्ष्य को विश्वसनीय माना और अभियोजन पक्ष के मामले में पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (संक्षेप में 'एफ.एस.एल.') की रिपोर्ट पर भी भरोसा किया और फैसले के पैराग्राफ संख्या 21 में विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उक्त गवाहों के साक्ष्यों पर चर्चा की। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सह-अभियुक्त अशोक यादव के विशिष्ट बचाव के संबंध में डी.डब्लू.1, डी.डब्लू.-2 और डी.डब्लू.-3 के साक्ष्य पर भरोसा किया कि वह अपीलकर्ता से अलग रहता है और उसका अपीलकर्ता के मामलों से कोई संबंध नहीं है और साथ ही एक्सटेंशन ए और एक्सटेंशन पर भी भरोसा किया। सह-अभियुक्त अशोक यादव के बचाव के संबंध में ए/1 और परिणामस्वरूप, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सह-अभियुक्त अशोक यादव को आरोपित अपराधों से बरी कर दिया, जबकि अपीलकर्ता को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराया, जिनके लिए उसे आरोपित किया गया था।

अपीलार्थी की ओर से तर्क:-

12. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि पी.डब्लू.-1, पी.डब्लू.-2, पी.डब्लू.-3 तथा पी.डब्लू.-6, जिन्हें छापा मारने वाली टीम का सदस्य बताया गया है, की गवाही विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उनके साक्ष्य कथित स्थान पर छापे के समय, बरामदगी के विशिष्ट स्थानों के संबंध में विरोधाभासी हैं तथा छापा मारने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले पुलिस निरीक्षक रमेश चंद्र उपाध्याय से पूछताछ नहीं की गई। जब्त किए गए प्रतिबंधित माल के वजन के संबंध में एफआईआर तथा जब्ती ज्ञापन पूरी तरह से अस्पष्ट हैं तथा सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष जब्त किए गए प्रतिबंधित माल के वजन के स्थान तथा समय के संबंध में विवरण नहीं दे सका। एफआईआर से यह स्पष्ट है कि जब्त सामग्री सहित प्रतिबंधित सामग्री को बरामदगी के स्थान पर सील नहीं किया गया था और इस संबंध में पी.डब्लू.-6 ने विरोधाभासी बयान दिया क्योंकि उसने कहा कि जब्त सामग्री को बरामदगी के स्थान पर सील किया गया था, लेकिन अन्य गवाहों द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया और

एफआईआर में भी बरामदगी के स्थान पर सील करने की प्रक्रिया के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है और इसके अलावा, सामग्री को उचित तरीके से सील नहीं किया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान का मुखबिर और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया गया था और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के प्रावधानों का भी जांच अधिकारी द्वारा पालन नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष ने मालखाना रजिस्टर पेश नहीं किया जिसमें जब्त सामग्री को मालखाने में जमा करने के संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा प्रासंगिक प्रविष्टि की गई बताई गई है और अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त मालखाना रजिस्टर पेश न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसलिए, आरोपित अपराधों के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और सजा सुनाने वाला निर्णय और आदेश कानून की नजर में पूरी तरह से गलत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से तर्क:-

13. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार सिन्हा ने तर्क दिया है कि पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2, पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-6 के साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय हैं तथा पी.डब्ल्यू.-6 के साक्ष्य के अनुसार, जब्त की गई सामग्री को बरामदगी के स्थान पर सील कर दिया गया था तथा उसे सीलबंद अवस्था में ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे भौतिक वस्तु के रूप में प्रदर्शित किया गया था। अपीलकर्ता को प्रतिबंधित सामग्री के साथ मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था तथा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना अभियोजन के मामले को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करता है। अतः विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को कथित अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और इस अपील में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

14. हमने दोनों पक्षों को सुना, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया तथा अभियुक्त/अपीलार्थी के बयान का भी अवलोकन किया।

विचारणीय

15. वर्तमान मामला अपीलार्थी के आवासीय घर से मादक पदार्थ अर्थात् गांजा की बरामदगी से संबंधित है। प्राथमिकी में, जो पी.डब्ल्यू.-6 के स्व-बयान पर आधारित है, आरोप लगाया गया है कि दिनांक 20.03.2016 को गुप्त सूचना पर कार्य करते हुए सदर थाना, अंचल, मधेपुरा में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक रमेश चन्द्र उपाध्याय के नेतृत्व में सात पुलिसकर्मियों की एक पुलिस टीम ने अपीलार्थी के आवासीय घर पर छापा मारा तथा दो स्वतंत्र व्यक्तियों अर्थात् अजय कुमार (पी.डब्ल्यू.-4) एवं अनिल कुमार (पी.डब्ल्यू.-5) की उपस्थिति में अपीलार्थी के घर की तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर 20 छोटे कागज के पैकेट (पूरिया) तथा 12 छोटे प्लास्टिक के पैकेट बरामद हुए तथा संदेह हुआ कि उक्त पैकेट में जो सामग्री थी वह गांजा है। मौके पर ही अपीलकर्ता तथा उसके पुत्र अशोक यादव को पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने पुलिस के समक्ष बताया कि जब्त मादक पदार्थ गांजा को वे बेचने के उद्देश्य से नेपाल देश से लाए थे तथा छोटे-छोटे पैकेट में पैक करके बेचते थे। तत्पश्चात अजय कुमार तथा अनिल कुमार (स्वतंत्र व्यक्ति) की उपस्थिति में अपीलकर्ता के घर की पूरी तलाशी ली गई तथा उसके घर के एक कोने से दो प्लास्टिक की बोरियों में लगभग 22 किलोग्राम गांजा जैसी सामग्री बरामद की गई। दो बोरियों में बरामद गांजा जैसी सामग्री के संबंध में अपीलकर्ता तथा उसके पुत्र ने बताया कि उक्त मादक पदार्थ भी स्थानीय बाजार में बेचने के उद्देश्य से नेपाल देश से लाया गया था।

16. उपरोक्त अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, जब्त की गई मादक सामग्री कथित तौर पर अपीलकर्ता के घर के बरामदे और एक कोने से बरामद की गई थी। इस बरामदगी की विश्वसनीयता के बारे में, हम अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य पर चर्चा करना चाहेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे तलाशी और छापेमारी के समय बरामदगी के स्थान पर मौजूद थे।

17. पी.डब्ल्यू.-1 ने जिरह में कहा कि वह अपीलकर्ता के घर के उस विशेष भाग का खुलासा नहीं कर सका, जहां से कथित प्रतिबंधित सामान बरामद किया गया था। उसने जिरह में आगे कहा कि जब उनके घर पर छापा मारा गया तो अपीलकर्ता और सह-आरोपी प्रतिबंधित सामान को छोटे-छोटे पैकेटों में पैक करते हुए पाए गए। लेकिन एफआईआर में ऐसा तथ्य उजागर

नहीं किया गया है। इस गवाह के अनुसार, तलाशी के समय अपीलकर्ता, सह-आरोपी और एक महिला छापेमारी वाले घर में मौजूद थे। उक्त महिला की उपस्थिति के संबंध में अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह चुप रहे और छापेमारी वाले घर में रहने वाले कुल परिवार के सदस्यों के बारे में जिरह करने पर गवाह कोई जवाब नहीं दे सका और उसने उक्त बिंदु पर अपनी अज्ञानता दिखाई।

18. अ.प.-2, डबलू कुमार राम, जो छापा मारने वाली टीम का सदस्य बताया जाता है, ने मुख्य-परीक्षण में कहा कि छापा मारने वाली टीम के अन्य सदस्य उसके आगे चल रहे थे और वह उनके पीछे था, जब वह बरामदगी के स्थान पर पहुंचा तो जब्ती सूची तैयार की जा रही थी। उसने जिरह में बयान दिया कि वह अपीलकर्ता के घर के आंगन के अंदर नहीं गया था। इस गवाह का साक्ष्य अपीलकर्ता के आवासीय घर से प्रतिबंधित सामान की कथित बरामदगी को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं लगता है।

19. अ.प.-3, मनोज कुमार यादव, जो छापा मारने वाली टीम का सदस्य भी बताया गया है, ने जिरह में बयान दिया कि उसके सहित छापा मारने वाली टीम के सभी सदस्य अपीलकर्ता के घर में घुसे और फिर दक्षिण दिशा में स्थित एक कमरे से गांजा के पैकेट बरामद किए गए और उत्तर दिशा में स्थित एक अन्य कमरे से जमीन के नीचे छुपाए गए दो प्लास्टिक के बोरे पाए गए, जिन्हें कुदाल और हाथों की मदद से मिट्टी हटाने के बाद बरामद किया गया। इस गवाह के अनुसार, जब्त किए गए प्रतिबंधित माल का बड़ा हिस्सा, जो दो प्लास्टिक के बोरे में बताया गया है, जमीन से बरामद किया गया और उन्हें जमीन के नीचे दबा कर रखा गया था। लेकिन इस तरह का बयान मुखबिर सहित अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा नहीं दिया गया है और उन्होंने केवल यह कहा है कि अपीलकर्ता के घर के कोने से लगभग 22 किलोग्राम गांजा से भरे कथित बोरे बरामद किए गए थे। इसलिए, अभियोक्ता पक्ष के पी.डब्लू.-3 और अन्य गवाहों के साक्ष्यों में कथित प्लास्टिक की बोरियों की बरामदगी के सटीक स्थान के बारे में गंभीर विरोधाभास दिखाई देता है, जिसमें प्रतिबंधित सामग्री का बड़ा हिस्सा पाया गया था। यह विरोधाभास

अपीलकर्ता के आवासीय घर से कथित प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करता है।

20. पी.डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि छापेमारी के समय अपीलकर्ता के साथ उसकी एक महिला पारिवारिक सदस्य और उसका बेटा भी निवास स्थान पर मौजूद थे। अपीलकर्ता ने यह बचाव किया है कि वह कथित प्रतिबंधित सामान की बरामदगी से पहले अपने बेटे अशोक यादव (सह-अभियुक्त) से अलग हो गया था और बरामदगी के समय उसे अपने बेटे के मामलों से कोई सरोकार नहीं था। अपीलकर्ता और उसके बेटे अशोक यादव के बीच संयुक्तता के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा कोई जांच नहीं की गई और इस बिंदु पर पी.डब्ल्यू.-1 अपीलकर्ता के अपने बेटे के साथ संयुक्तता को दर्शाने वाला कोई सुसंगत तथ्य प्रकट नहीं कर सका, बल्कि पी.डब्ल्यू.-4 और पी.डब्ल्यू.-5, जिन्हें तलाशी और जब्ती के स्वतंत्र गवाह कहा जाता है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि अपीलकर्ता अपने बेटे अशोक यादव से अलग रह रहा था।

21. जब किसी रिहायशी घर से मादक पदार्थ बरामद किया गया हो और दो या दो से अधिक व्यक्ति जो रिश्तेदार हैं, ऐसे स्थान पर रहते हुए पाए जाते हैं और अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि बरामदगी ऐसे परिवार के एक सदस्य के व्यक्ति से की गई है, तो ऐसे परिवार के ऐसे सदस्य या अधिक सदस्यों को ऐसा प्रतिबंधित पदार्थ रखने का दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित किया जाना चाहिए कि जब्त प्रतिबंधित पदार्थ पर ऐसे परिवार के सदस्य या सदस्यों का सचेत कब्जा था। इस मामले में अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाहों के साक्ष्य से केवल यही प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को केवल उस स्थान पर मौजूद पाया गया था, जहां छापा मारा गया था, जो उसका और उसके बेटे का रिहायशी घर बताया जाता है। हालांकि, पी.डब्ल्यू.-1 ने जिरह में कहा कि अपीलकर्ता और उसके बेटे (सह-अभियुक्त) को छापे के समय कथित प्रतिबंधित पदार्थ को छोटे पैकेटों में पैक करते हुए पाया गया था, लेकिन उक्त कथन की पुष्टि एफआईआर और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से नहीं होती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भी बरामदगी के स्थान पर तलाशी और छापे के समय मौजूद थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी दो स्वतंत्र व्यक्तियों अजय कुमार और अनिल

कुमार की उपस्थिति में की गई थी, जिनकी क्रमशः पी.डब्ल्यू.-4 और पी.डब्ल्यू.-5 के रूप में जांच की गई थी। लेकिन पी.डब्ल्यू.-4 ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्ष की कहानी के समर्थन में कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने अपीलकर्ता द्वारा अपने बेटे अशोक यादव से अलगाव के बारे में दिए गए बचाव का समर्थन किया, जो छापे से पहले हुआ था।

22. अ.सा.-5 अजय कुमार ने अपने बयान से पलटते हुए केवल जब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर साबित किए, लेकिन कहा कि पुलिस ने कोरे कागज पर उनके हस्ताक्षर लिए हैं। अभियोजन पक्ष इस गवाह से जिरह में अपने मामले को पुष्ट करने के लिए कोई भी तथ्य नहीं जुटा पाया। तदनुसार, दोनों गवाहों के साक्ष्य अभियोजन पक्ष के खिलाफ जाते हैं।

23. प्राथमिकी में अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई कहानी के अनुसार, बरामदगी का कथित स्थान जो अपीलकर्ता का आवासीय घर बताया जाता है, पर सुबह 7:30 बजे छापा मारा गया था। लेकिन इस संबंध में अ.सा.-1 और अ.सा.-2 ने विरोधाभासी तथ्य उजागर किए। दोनों गवाहों ने जिरह में कहा कि वे सुबह 4:00 बजे पुलिस स्टेशन से निकले और सुबह 4:30 बजे सिंहेश्वर पुलिस स्टेशन पहुंचे। अ.सा.-2 ने कहा कि वे सिंहेश्वर पुलिस स्टेशन में 10-15 मिनट तक रुके। पी.डब्ल्यू.-1 ने बताया कि कथित बरामदगी स्थल और सिंहेश्वर थाने के बीच की दूरी मात्र डेढ़ किलोमीटर थी, जिसे पुलिस दल ने 5-6 मिनट में तय कर लिया था। इस प्रकार, दोनों गवाहों के साक्ष्य के आलोक में यह स्पष्ट है कि यदि अभियुक्त के आवासीय घर पर छापेमारी की कहानी पर विश्वास किया जाए तो पुलिस दल सुबह 5:00 बजे से पहले ही छापेमारी स्थल पर पहुंच गया होगा। लेकिन प्राथमिकी के अनुसार, बरामदगी स्थल पर सुबह 7:30 बजे छापेमारी की गई थी। कथित स्थान पर छापेमारी के समय के संबंध में विरोधाभास अभियोजन पक्ष की कहानी में गंभीर संदेह पैदा करता है।

24. एफआईआर के अनुसार, पुलिस दल एक गुप्त सूचना के आधार पर अपीलकर्ता के आवासीय घर की ओर बढ़ा। लेकिन अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा कि उक्त सूचना को लिखा गया था और उसके बाद, बरामदगी के स्थान की ओर

बढ़ने से पहले संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा इसकी प्रति वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भेजी गई थी। अभियोजन पक्ष एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के अनिवार्य प्रावधान का पालन किए बिना अपीलकर्ता के घर की ओर बढ़ने में कोई तत्परता और समीचीनता दिखाने में विफल रहा। **करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य** के मामले में (2009) 8 एससीसी 539 में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने देखा कि:

“जबकि धारा 42 की उपधारा (1) और (2) की अपेक्षाओं का पूर्ण गैर-अनुपालन अस्वीकार्य है, विलंब के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण के साथ विलंबित अनुपालन धारा 42 का स्वीकार्य अनुपालन होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी विलंब के परिणामस्वरूप अभियुक्त भाग सकता है या माल या साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं या हटा दिए जा सकते हैं, तो कार्रवाई शुरू करने से पहले प्राप्त सूचना को लिखित रूप में दर्ज न करना या ऐसी सूचना की एक प्रति तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को न भेजना धारा 42 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि सूचना उस समय प्राप्त हुई जब पुलिस अधिकारी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय के साथ पुलिस स्टेशन में था और यदि पुलिस अधिकारी प्राप्त सूचना को लिखित रूप में दर्ज करने में विफल रहता है या उसकी एक प्रति वरिष्ठ अधिकारी को नहीं भेजता है, तो यह एक संदिग्ध परिस्थिति होगी जो अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन है।”

25. इस मामले के मुखबिर पी.डब्ल्यू.-6 राजेश चौधरी ने जिरह में यह बयान दिया कि उन्होंने अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को कोई लिखित सूचना नहीं दी और कथित स्थान पर छापा मारने के लिए कोई अनुमति भी नहीं ली। इस बयान से यह स्पष्ट है कि मुखबिर और पुलिस दल का नेतृत्व करने वाले पुलिस निरीक्षक रमेश चंद्र उपाध्याय ने अपीलकर्ता के आवासीय घर में कथित प्रतिबंधित पदार्थों की उपलब्धता के बारे में गुप्त सूचना दर्ज नहीं की और न ही उनमें से किसी ने अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को कथित छापा मारने वाले स्थान की ओर बढ़ने के अपने कार्य और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान का पालन न करने के बारे में कोई लिखित सूचना दी, पी.डब्ल्यू.-6 द्वारा अपने साक्ष्य दर्ज करते समय कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

26. यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अभियोजन पक्ष ने छापा मारने वाले दल का नेतृत्व करने वाले पुलिस निरीक्षक रमेश चंद्र उपाध्याय को पेश नहीं किया और उनसे पूछताछ नहीं की।

27. एफआईआर के अवलोकन से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ, जो छोटे पैकेटों और दो बोरों में पाए गए बताए गए हैं, का वजन मुखबिर और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा बरामदगी के स्थान पर किया गया था, जो छापा मारने वाले दल के सदस्य थे और दो बोरों में पाए गए जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ का कुल वजन 22 किलोग्राम होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन जब्ती सूची (एक्सटेंशन-3) में ऐसा कोई अनुमानित वजन नहीं बताया गया था और यहां तक कि 32 छोटे पैकेटों में पाए गए प्रतिबंधित पदार्थ का वजन भी जब्ती सूची में नहीं बताया गया था। पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 ने जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ का वजन मापने के लिए पुलिस दल द्वारा किए गए किसी भी प्रयास के बारे में कुछ नहीं कहा। इस बिंदु पर, पी.डब्ल्यू.-6 का साक्ष्य भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह मुखबिर है और संबंधित थाने का तत्कालीन एस.एच.ओ. था, वह भी कथित प्रतिबंधित पदार्थों के वजन के बारे में चुप रहा। हालांकि उसने जब्त की गई बोरियों सहित मादक पदार्थ का सटीक वजन बताया, लेकिन उसका बयान भी अस्पष्ट प्रतीत होता है क्योंकि वह बोरियों के वजन को छोड़कर उक्त प्रतिबंधित पदार्थ का सही वजन नहीं बता सका। इसके अलावा, गवाह उस प्रतिबंधित पदार्थ का वजन नहीं बता सका जो 32 छोटे पैकेटों में पाया गया था। तदनुसार, पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2, पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-6 के साक्ष्य के साथ-साथ जब्ती सूची (एक्सटेंशन-3) के आलोक में, यह न्यायालय यह राय बनाता है कि मुखबिर और छापा मारने वाली पार्टी के अन्य पुलिस सदस्यों ने जब्त प्रतिबंधित माल का सही वजन तौलने/मापने का कोई प्रयास नहीं किया। एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक विशिष्ट अपराध को आकर्षित करने के लिए, अभियोजन पक्ष जब्त प्रतिबंधित माल का सही वजन साबित करने के लिए बाध्य है, लेकिन इस मामले में, अभियोजन पक्ष उक्त भार का निर्वहन करने में विफल रहा।

28. एफआईआर से यह पता नहीं चलता कि जब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री जिसमें बोरे, प्लास्टिक सामग्री से बने छोटे पैकेट और कागज जैसी अन्य वस्तुएं शामिल हैं, को बरामदगी के स्थान पर सील किया गया था। हालांकि, ऐसी सामग्री और प्रतिबंधित वस्तुओं को पुलिस स्टेशन में सील किया जा सकता है, अगर संबंधित पुलिस अधिकारी के पास मौके पर उन्हें सील करने का उचित समय या अवसर नहीं था, लेकिन इस संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा कुछ स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए था। किसी प्रतिबंधित वस्तु को तुरंत सील करने का उद्देश्य जब्त की गई सामग्री के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावना को रोकना है। जहां कोई वस्तु जो किसी अपराध से संबंधित है, सील की गई है, तो ऐसी सील पर विशिष्ट चिह्न होना चाहिए, ताकि उसे परीक्षण के दौरान साबित किया जा सके और सील करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सील का एक नमूना तलाशी और जब्त के गवाहों के हस्ताक्षर के साथ एक खाली कागज पर लिया जाना चाहिए और उसके बाद, उसे अलग से भी सील किया जाना चाहिए और परीक्षण के दौरान, इसे परीक्षण न्यायालय के समक्ष साबित किया जाना चाहिए और जब्त सामग्री पर लगाई गई अन्य मुहरों से मिलान किया जाना चाहिए और सीलिंग प्रक्रिया की प्रामाणिकता साबित करने के लिए ऐसी प्रक्रिया आवश्यक है। लेकिन तत्काल मामले में, पुलिस पक्ष द्वारा ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और यहां तक कि पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 ने भी बरामदगी के स्थान पर जब्त सामग्री के संबंध में किसी भी प्रकार की सीलिंग प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं कहा। इस संबंध में, पी.डब्ल्यू.-6, सूचक का साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसने जिरह में कहा है कि जब्त सामग्री अपीलकर्ता के घर पर सील की गई थी। लेकिन इस संबंध में अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 ने पी.डब्ल्यू.-6 के बयान का समर्थन करने के लिए कुछ नहीं कहा और एफआईआर में भी सूचक द्वारा सील करने की प्रक्रिया का कोई विवरण नहीं दिया गया। इसके अलावा, पी.डब्ल्यू.-6 ने जिरह में कहा कि सील पर कोई विशेष निशान नहीं था और उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। उक्त बयान इस गवाह ने अदालत में सीलबंद बोरियों और कैरी बैग (झोला) को देखने के बाद दिया था। इस प्रकार, इस गवाह के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कथित जब्त मादक पदार्थों को उचित तरीके से सील नहीं किया गया था और इस

संबंध में, इस गवाह के बयान की पुष्टि अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से नहीं होती है, जो अभियोजन पक्ष की कहानी पर गंभीर संदेह पैदा करता है।

29. जब्ती ज़ापन, एक्सटेंशन-3 के अनुसार, कागज से बने 20 छोटे पैकेट, प्लास्टिक सामग्री से बने 12 छोटे पैकेट जिनमें 'गांजा' जैसी सामग्री थी तथा दो सफेद प्लास्टिक की बोरियां जिनमें 'गांजा' जैसी सामग्री थी, पुलिस दल द्वारा बरामद कर जब्त कर ली गई। जब्त की गई इन सामग्रियों का विवरण एक्सटेंशन-3 के पैरा क्रमांक 4 में जब्ती ज़ापन में दिया गया है। लेकिन जांच अधिकारी पी.डब्लू.-6 के अनुसार, 'गांजा' युक्त 32 पैकेटों के साथ एक लाल रंग का बैग (झोला) भी बरामद किया गया। गवाह ने बैग की पहचान तब की जब उसे ट्रायल कोर्ट में उसके सामने पेश किया गया तथा उस पर सामग्री एक्सटेंशन-1 अंकित था तथा उस समय बैग सीलबंद अवस्था में था। लेकिन जब्ती ज़ापन में इस बैग का कोई विवरण नहीं है और पी.डब्लू.-1, पी.डब्लू.-2 और पी.डब्लू.-3 जो छापेमारी दल के सदस्य थे और जिन्होंने छापेमारी स्थल पर तलाशी और जब्ती की कार्यवाही देखी, उन्होंने बरामदगी स्थल से लाल रंग के बैग (झोला) की बरामदगी के बारे में कुछ नहीं कहा। अभियोजन पक्ष ने उक्त बैग की बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में आए विरोधाभास को स्पष्ट करने में विफल रहा और इसके अलावा जब्ती ज़ापन एक्सटेंशन-3 बैग की बरामदगी के बारे में चुप रहा। विरोधाभास जब्ती ज़ापन में विस्तृत अन्य कथित वस्तुओं की बरामदगी में गंभीर संदेह पैदा करता है।

30. सिंहेश्वर थाने के तत्कालीन एस.एच.ओ. पी.डब्लू.-6, जिन्होंने अपना आत्म कथन दर्ज किया, जिससे आपराधिक कानून लागू हुआ, ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा कि जांच अधिकारी ने जब्त सामग्री को सिंहेश्वर थाने के संपत्ति कक्ष/साक्ष्य कक्ष (मालखाना) से लाया था और इस संबंध में मालखाना रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि की गई थी, जिसे जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता था। जांच अधिकारी पी.डब्लू.-7 ने भी घटना के संबंध में मालखाना रजिस्टर में प्रविष्टि करने के तथ्य को स्वीकार किया, लेकिन अभियोजन पक्ष ट्रायल कोर्ट

के समक्ष *मालखाना* रजिस्टर प्रस्तुत करने में विफल रहा, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

31. वर्तमान मामले में, कथित प्रतिबंधित सामग्री 20.03.2016 को बरामद की गई थी, लेकिन जब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री से लिए गए नमूने, बरामदगी के दो महीने बीस दिन बाद 10.06.2016 को एफ.एस.एल., पटना भेजे गए थे और 13.06.2016 को एफ.एस.एल., पटना में प्राप्त हुए।

32. विशेष संदेशवाहक चौकीदार फैनक पासवान, जिसने नमूने एफ.एस.एल., पटना में पहुंचाए थे, को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया और उनसे पूछताछ नहीं की गई। अभियोजन पक्ष एफ.एस.एल. में नमूने पहुंचाने में विशेष संदेशवाहक की ओर से हुई 3 दिनों की देरी के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है। इसके अलावा, जब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री से नमूने प्राप्त करने में 2 महीने 20 दिनों की देरी के बारे में भी अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रत्येक अपराध में, विशेषकर एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों में अभियोजन पक्ष द्वारा यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि विशेष दूत ने सीलबंद अवस्था में नमूने प्राप्त किये थे तथा तत्पश्चात, उसने बिना किसी विलम्ब के उसी सीलबंद अवस्था में एफ.एस.एल. को सौंप दिये थे तथा नमूनों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की सम्भावना को समाप्त करने के लिए, विशेष दूत जिसने नमूने ले जाकर एफ.एस.एल. में जमा किये थे, से पूछताछ की जानी चाहिए। परन्तु वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने पुलिस चौकीदार, विशेष दूत, फैनक पासवान, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने नमूने प्राप्त किये थे तथा एफ.एस.एल., पटना में जमा किये थे, को पेश करने का कोई प्रयास नहीं किया। अतः अपीलकर्ता को एफ.एस.एल. द्वारा प्राप्त किये गये नमूनों की अक्षुण्णता की गवाही देने का अवसर नहीं मिल सका, जिसके आधार पर एफ.एस.एल. विभाग द्वारा नमूनों की प्रकृति के सम्बन्ध में विशेषज्ञ की राय दी गयी थी। अभियोजन पक्ष की यह कमी उसके मामले को कमजोर बनाती है।

33. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के अनुसार, पुलिस स्टेशन का प्रत्येक प्रभारी अधिकारी या कोई अन्य सशक्त पुलिस अधिकारी जिसने जब्त मादक दवाओं को प्राप्त किया है, वह संबंधित विवरण जैसे विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग का तरीका, चिह्न आदि देते हुए जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों की एक सूची तैयार करने के लिए बाध्य है और उसके बाद, वह तैयार की गई सूची की सत्यता को प्रमाणित करने के उद्देश्य से किसी भी मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा। मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों की तस्वीरें लेने की भी अनुमति देगा और उसके बाद तस्वीरों को प्रमाणित करेगा। मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को अपनी उपस्थिति में जब्त की गई दवाओं और पदार्थों से प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देगा और उसके बाद, वह इस तरह से लिए गए नमूनों की सूची की सत्यता को प्रमाणित करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 3191/2023 में यूसुफ @ आसिफ बनाम राज्य के मामले में दिए गए अपने फैसले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के प्रावधानों से निपटते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की: -

“12. जैसा कि पहले भी कहा गया है, उपर्युक्त प्रावधानों को सरलता से पढ़ने पर पता चलता है कि जब कोई प्रतिबंधित/मादक पदार्थ जब्त किया जाता है और उसे पुलिस या धारा 53 के तहत उल्लिखित अधिकारी को भेजा जाता है, तो उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी जब्त पदार्थ की गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग का तरीका, नंबरिंग और पहचान चिह्न जैसे विवरण और विवरण के साथ अपनी सूची तैयार करेगा और फिर किसी भी मजिस्ट्रेट को इसकी सत्यता प्रमाणित करने और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसे पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देने और इस प्रकार लिए गए नमूनों की सूची की सत्यता प्रमाणित करने के लिए आवेदन करेगा।

13. वर्तमान मामले में प्रतिवादी की ओर से बचाव के बावजूद, इस आशय का कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है कि जब्त कर रहे समय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए की उप-धारा (2), (3) और (4) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था। और नमूना लेना जैसे कि सूची तैयार करना और उसे मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करवाना। इस बात का कोई सबूत भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है कि नमूने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिए गए थे और इस तरह से लिए गए नमूनों की सूची मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित की गई थी। केवल यह तथ्य कि नमूने राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में लिए गए थे, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए की उपधारा (2) के अधिदेश का पर्याप्त अनुपालन नहीं है। 1

14. यह रिकॉर्ड पर एक स्वीकृत स्थिति है कि जब्त किए गए पदार्थ से नमूने पुलिस द्वारा राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में लिए गए थे न कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में। यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि मजिस्ट्रेट ने जब्त किए गए पदार्थ की सूची या इस तरह से लिए गए नमूनों की सूची को प्रमाणित किया था।”

34. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त मामले में संघ भारत बनाम मोहनलाल

एवं अन्य (2016) 3 एससीसी 379 में पारित अपने स्वयं के निर्णय पर भरोसा किया तथा

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के प्रावधानों का पालन न करने के परिणाम के संबंध में,

उपर्युक्त संदर्भित निर्णय के पैराग्राफ संख्या ‘16’ में अंततः निम्नलिखित टिप्पणी की: -

“16. रिकॉर्ड पर कोई भी सामग्री न होने के कारण यह साबित हो सके कि जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान के नमूने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिए गए थे और जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान की सूची मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई थी, यह स्पष्ट है कि जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान और उनसे लिए गए नमूने मुकदमे में प्राथमिक साक्ष्य का वैध हिस्सा नहीं होंगे। जब कोई प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, तो मुकदमा पूरी तरह से दोषपूर्ण हो जाता है।”

35. आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 310/2016 में पारित मोहम्मद समसुल बनाम

भारत संघ के मामले में आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 292/2016 में पारित मोहम्मद फिरोज

बनाम भारत संघ के मामले के अनुरूप, इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ ने एक टैंकर लॉरी से

भारी मात्रा में गांजा बरामदगी से जुड़े एक आपराधिक मामले पर विचार करते समय अभियोजन

पक्ष के खिलाफ तलाशी, जब्ती, सूची तैयार करने, जब्त सामग्री की फोटोग्राफी आदि के संबंध में

एनडीपीएस अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का पालन न करने को ध्यान में रखा, जैसा कि उक्त

निर्णय के पैराग्राफ संख्या 30, 31 और 35 में देखा गया है, जिन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया

जा रहा है:-

“30. मामले में अन्य सभी गवाह सीमा शुल्क विभाग के निरीक्षक, अधीक्षक और कांस्टेबल हैं। यह भी प्रतीत होता है कि जब्त किए गए गांजे की सूची साबित नहीं की जा सकी और मालखाना/गोदाम का प्रविष्टि रजिस्टर जहां जब्त किया गया गांजा रखा गया था और जहां से इसे नष्ट करने के लिए निकाला गया था, साबित नहीं हुआ है। एक्सटेंशन 11, जिसे 17.01.2013 को मेसर्स स्मृति पेपर मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मेहुली रोड, चिटमा, पटना सिटी में जब्त/जब्त की गई मादक दवाओं के विनाश को दर्शाने वाला डेटा कहा जाता है, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तैयार नहीं किया गया है। कोई फोटो नहीं लिया गया है और न ही कोई सबूत

रिकॉर्ड पर लाया गया है जो यह दर्शाता हो कि गांजा को नष्ट करने से पहले सूची की सत्यता के प्रमाणीकरण के लिए कोई कदम उठाया गया था। धारा 52 (ए) की उपधारा 2 के अनुसार सूची को तैयार करने की आवश्यकता थी मादक औषधियों, मनोविकार नाशक पदार्थों और वाहनों या जिस पैकिंग में उन्हें पैक किया जाता है, देश या उत्पत्ति और अन्य विवरण जैसे विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग का तरीका, चिह्न, संख्या या ऐसे अन्य पहचान विवरण जो मादक औषधियों, मनोविकार नाशक पदार्थों और वाहनों की पहचान करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। इस प्रकार तैयार की गई सूची की सत्यता को प्रमाणित करने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट को आवेदन करना आवश्यक था और फिर विभाग पर ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी औषधियों, पदार्थों या वाहनों की तस्वीरें लेने और ऐसी तस्वीरों को सत्य के रूप में प्रमाणित करने की आवश्यकता थी।

31. हम यह भी पाते हैं कि गांजा के नमूने लेने के मामले में उल्लंघन हुआ है। धारा 52 (ए) की उपधारा 2 के खंड (सी) के अनुसार ऐसी औषधियों या पदार्थों का प्रतिनिधि नमूना मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिया जाना अपेक्षित था तथा मजिस्ट्रेट को इस प्रकार लिए गए नमूनों की सूची की सत्यता प्रमाणित करनी थी। विभाग द्वारा इन प्रावधानों का दंडात्मक उल्लंघन किया गया है तथा इस संबंध में एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

35. मामले के दिए गए तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि इस मामले में तलाशी, जब्ती, सूची तैयार करना, प्रतिबंधित वस्तुओं को नष्ट करना, प्रमाणीकरण आदि के संबंध में कोई भी वैधानिक प्रावधान, जो पालन किए जाने वाली अनिवार्य आवश्यकताओं की प्रकृति के हैं, अभियोजन पक्ष द्वारा तथा अभियोजन पक्ष की ओर से अनुपालन नहीं किया गया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने विषय पर कानून तथा एन.डी.पी.एस. के अनिवार्य प्रावधानों की सही ढंग से सराहना नहीं की है। अधिनियम जो वैधानिक सुरक्षा उपायों के अनुपालन के सबूत के बाद ही कठोर सजा का प्रावधान करता है, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा उचित रूप से सराहना नहीं की जा सकी।”

36. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि जब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री से लिए गए नमूने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा लिए गए थे। यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि जब्त की गई सामग्री सहित प्रतिबंधित सामग्री की सूची मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जांच अधिकारी द्वारा बनाई गई थी। इसलिए, संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा वर्तमान मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के प्रावधानों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया, जो अभियोजन पक्ष के लिए घातक है और अपीलकर्ता के मुकदमे को समग्र रूप से दोषपूर्ण माना जा सकता है।

37. अभियोजन पक्ष नेपाल देश से भारतीय क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी में अपीलकर्ता की संलिप्तता को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दे सका और इस संबंध में अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से अपीलकर्ता के स्वयं के बयान पर भरोसा किया जो कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है।

निष्कर्ष:-

38. अभियोजन पक्ष के सुसंगत साक्ष्यों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पुलिस दल द्वारा कथित स्थान, जिसे अपीलकर्ता का आवासीय घर कहा जाता है, पर छापा मारने के समय के संबंध में गंभीर विरोधाभास है, जब्ती ज्ञापन में जब्त प्रतिबंधित सामग्री के वजन का कोई विवरण नहीं है तथा अभियोजन पक्ष यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा कि जब्त प्रतिबंधित सामग्री का वजन कब, कहां और कैसे किया गया तथा संबंधित पुलिस अधिकारी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 और 52 ए के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया तथा इन प्रावधानों का अनुपालन न करने के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तथा जब्त सामग्री के संबंध में पुलिस दल द्वारा वैध और प्रमाणित सीलिंग प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तथा कथित बरामदगी के स्थान के उन भागों या स्थानों के संबंध में महत्वपूर्ण अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है, जहां से जब्त प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई बताई जाती है तथा इसके अतिरिक्त, कुछ महत्वपूर्ण गवाहों ने भी इन प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। जैसे कि पुलिस निरीक्षक रमेश चंद्र उपाध्याय जिन्होंने छापा मारने वाली टीम का नेतृत्व किया, विशेष संदेशवाहक, जिन्होंने नमूने प्राप्त किए और उन्हें एफ.एस.एल. में जमा किया, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही उनकी जांच की गई। इसलिए, अभियोजन पक्ष के खिलाफ जाने वाली इन परिस्थितियों के मद्देनजर, हम विवादित निर्णय की पुष्टि करने के लिए राजी नहीं हैं और यह गलत प्रतीत होता है, इसलिए यह कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है। परिणामस्वरूप, आरोपित अपराधों के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और सजा सुनाने वाले विवादित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है और तत्काल अपील स्वीकार की जाती है।

39. अपीलकर्ता जेल में है, इसलिए उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है।

40. निर्णय की प्रति संबंधित ट्रायल कोर्ट को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाए।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मायनाज़/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।